फाइल संख्या० डी.एस.डब्ल्यू/1-19/फीस/हि.प्र.के.वि./21/1225-31
हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय
Central University of Himachal Pradesh
अधिष्ठाता छात्र कल्याण कार्यालय /Office of the Dean Students' Welfare

आज़ादी का अमृत महोत्सव

धर्मशाला-176215 **19 सितम्बर, 2025**

सूचना

हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों/केन्द्रों में अध्ययन कर रहे तीसरे, पांचवें, सातवें सेमेस्टर के सनातक, सनातकोत्तर विद्यार्थियों तथा शोधार्थियों को यह सूचित किया जाता है कि मानसून सेमेस्टर फीस **(जुलाई से दिसम्बर,2025)** ऑनलाइन माध्यम (https://cuhimachal.samarth.edu.in/) से निम्नलिखित विवरण के अनुसार जमा कर सकते हैं :

फीस जमा करने की अवधि	अध्ययन कार्यक्रम	सेमेस्टर फीस (₹)
22.09.2025 से 01.10.2025 तक	एम.बी.ऐ./एम.बी.ऐ.(टी.टी.)/एम.एस.सी./एम.एस.डब्ल्यू./एम.सी.ऐ. एवं बी.एस.सी. (फिजिक्स ऑनर)	**₹9750.00**
	एम.ऍफ़.ऐ./एम.ऐ./एम.कॉम./एम.लिब.(साइंस)/बी.लिब.(साइंस) /बी.कॉम.	**₹3450.00**
	एम.ऐ. संस्कृत	**₹2350.00**
	बी.ऐ. संस्कृत (ऑनर)	**₹ 980.00**
	बी.वोक.	**₹5000.00**
	बी.ऐ./बी.ऍफ़.ऐ.	**₹1580**
	सभी दूसरे से छठे सेमेस्टर की शोधार्थियों के लिए	**₹6150.00**
	सभी सातवें सेमेस्टर के बाद के शोधार्थियों के लिए	**₹2150.00**
	सभी स्नातक पाठ्यक्रमों की स्व वित्तपोषण के लिए	**₹ 40000.00**
	सभी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की स्व वित्तपोषण के लिए	**₹ 50000.00**

यदि कोई विद्यार्थी उपरोक्त तिथियों के दौरान फीस का भुगतान नहीं करता है, तो निम्नलिखित विवरण के अनुसार विलम्ब शुल्क देय होगा :

क. पहले 10 दिनों (02.10.2025 से 11.10.2025 तक) के लिए कुल फीस का 10%
ख. अगले 10 दिनों (12.10.2025 से 21.10.2025 तक) के लिए कुल फीस का 15%
ग. अगले 10 दिनों (22.10.2025 से 31.10.2025 तक) के लिए कुल फीस का 20%

यदि कोई विद्यार्थी फीस के लिए निर्धारित समय-सीमा के 30 दिनों के भीतर अपनी फीस का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसका नाम विश्वविद्यालय से स्वतः हट जाएगा।

यह सूचना माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन से जारी की गयी है।

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

प्रति: निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा अनुवर्ती कार्रवाई हेतु प्रेषित:

1. विभिन्न स्कूलों/विभागों/केन्द्रों के सभी अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/निदेशक, हि.प्र.के.वि. छात्रों/शोधार्थियों की सूचना हेतु प्रेषित।
2. सिस्टम एनालिस्ट, हि.प्र.के.वि., धर्मशाला – कृपया विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर सूचना को अपलोड करने तथा सम्बंधित कार्य/विषय में तकनीकी सहायता प्रदान करने के अनुरोध सहित।
3. कुलसचिव, हि.प्र.के.वि., धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हि.प्र.।
4. अधिष्ठाता अकादमिक, हि.प्र.के.वि., धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हि.प्र.।
5. वित्त अधिकारी, हि.प्र.के.वि., धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हि.प्र.।
6. माननीय कुलपति महोदय के सचिव, हि.प्र.के.वि., धर्मशाला, माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
7. सहायक कुलसचिव- कुलपति सचिवालय, हि.प्र.के.वि., धर्मशाला माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।

अधिष्ठाता छात्र कल्याण